सुशासन

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल

School of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन

(01 अप्रैल 2008 – 31 मार्च 2009)

Second Annual Report

(1st April 2008 – 31st March 2009)

सी–403, चतुर्थ तल, नर्मदा भवन, 59, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
e-mail sushasank@gmail.com, www.sushasanmp.in

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल
School of Good Governance & Policy Analysis

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन
(01 अप्रैल, 2008 – 31 मार्च, 2009)

Second Annual Report
(1st April, 2008 – 31st March, 2009)

सी–403, चतुर्थ तल, नर्मदा भवन, 59, अरेरा हिल्स,
भोपाल–462011

प्रस्तावना

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना 17 सितम्बर, 2007 को हुई। प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन में स्कूल के विकास संबंधी प्रारंभिक प्रयासों की जानकारी प्रदान की गई थी। 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 हेतु द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में शासन द्वारा गठित सुशासन एवं संसाधन विकास कार्यदल में स्कूल का सहयोग, प्रदेश के विकास में आम आदमी की सहभागिता हेतु आईडियाज़ फॉर सीएम वेबसाईट का शुभारंभ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग एवं समन्वय, शासन में प्रचलित गुड प्रैक्टिसेज़ के संकलन एवं प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षुक योजना आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों एवं राष्ट्रीय संस्थानों के अकादमिक का सुशासन की विविधताओं पर विचार–विमर्श के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (National University of Education Planning and Administration-NUEPA) के सभा भवन में आयोजन किया गया। मंत्रीपरिषद के माननीय सदस्यों हेतु पंचमढ़ी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अध्ययन एवं शोध संबंधी स्कूल के कोर स्टॉफ की नियुक्ति हेतु प्रारंभिक विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में स्कूल की कार्यकारी निकाय द्वारा दो संचालक एवं एक कार्यक्रम समन्वयक के पदों पर ही नियुक्तियाँ सम्भव हो सकीं। स्कूल की प्रगति के साथ दूसरे विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं शोध संबंधी स्कूल के कोर स्टॉफ हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और आशा की जाती है कि रिक्त पदों पर योग्य आवेदकों का चयन हो सकेगा।

स्कूल के विकास में माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन एवं स्कूल की शासी निकाय के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन एवं स्कूल की कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष के विशेष मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन के लिए हम अत्यंत्य आभारी हैं।

दिनांकः 25 अगस्त, 2009

(एच.पी. दीक्षित)
महानिदेशक

विषय–सूची

स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	**स्कूल संबंधी सामान्य जानकारी :**	1 – 3
	1.1 भूमिका	
	1.2 प्रारंभिक विकास एवं नीतिगत निर्णय	
2	**वर्ष 2008–09 की मुख्य गतिविधियाँ :**	3 – 10
	2.1 सुशासन एवं संसाधन विकास कार्यदल में स्कूल द्वारा सहयोग	
	2.2 जन–जन की सहभागिता हेतु वेबसाईट : आईडियाज़ फॉर सीएम	
	2.3 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय के प्रयास	
	2.4 गुड प्रैक्टिसेज़ के संकलन एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास	
	2.5 सुदूर स्थानों तक जन अपेक्षाओं के अनुश्रवण हेतु सीधा सेटैलाईट सम्पर्क	
	2.6 Knowledge and Information Repository की स्थापना हेतु प्रारंभिक प्रयास	
	2.7 वेबसाईट गुणवत्ता, सुलभता एवं सुरक्षा हेतु प्रयास	
	2.8 स्कूल परिसर के निर्माण हेतु प्रारंभिक कार्यवाही	
3	**सेमीनार/कार्यशाला :**	10 – 12
	3.1 प्रशासनिक अधिकारियों और उत्कृष्ट संस्थाओं के अकादमियों की कॉनक्लेव	
	3.2 मंत्रीपरिषद के माननीय सदस्यों हेतु कार्यशाला का आयोजन	
4	**प्रशिक्षण :**	13
	मंत्रालयीन कर्मचारियों के प्रभावी व्यक्तित्व विकास हेतु प्रशिक्षण	
5	**स्कूल में नवीन पदस्थापनायें**	13 – 14
6	**वित्तीय प्रतिवेदन**	14 – 15
7	**स्कूल के कोर स्टाफ को प्राप्त विशिष्ट अवार्ड**	15
8	**विशिष्ट व्यक्तियों का स्कूल में आगमन :**	15 – 16
	8.1 श्री शम्भूनाथ, पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	
	8.2 प्रोफेसर एन. रविचन्द्रन, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	
	8.3 श्री शेखर दत्त, उप–राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली	
9	**सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल के मुख्य उद्देश्य**	16
10	**परिशिष्ट एक से तीन**	17 – 20

1. स्कूल संबंधी सामान्य जानकारी

1.1 भूमिका –

सार्वजनिक जीवन में आज यह एक अत्यंत्य महत्वपूर्ण विषय है कि शासन को किस तरह अधिक से अधिक जन केन्द्रित बनाया जाये एवं उसकी गुणवत्ता को परिष्कृत किया जाये ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुँचाना सुनिश्चित हो सके। विश्व समुदाय द्वारा चिन्हित *मिलेनियम डेव्हल्पमेन्ट गोल्स* के मद्देनजर यह प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जून, 2006 में सियोल में यूनाइटेड नेशन्स सेन्टर फॉर गवर्नेन्स (यूएनसीजी) स्थापित किया गया। विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। आज यह सर्वमान्य तथ्य है कि प्रचलित शासकीय व्यवस्थाओं एवं समाज की सामान्य अपेक्षाओं में पर्याप्त भिन्नता है, जिसको कम करना नितांत आवश्यक हो गया है। अतः सुशासन की अवधारणा और स्वरूप में नवाचार एवं बदलाव लाने की प्रक्रिया के प्रयास किये जा रहे हैं।

यह गौरव का विषय है कि मध्यप्रदेश देश के कुछ ऐसे चुने हुए राज्यों में है, जिन्होंने शासन की उभरती हुई चुनौतियों को स्वीकारा है और सुशासन की गुणवत्ता को प्रदेश की विकास योजनाओं का आधार बनाने के प्रयास किये है। सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। स्कूल के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार के उत्कृष्ट विचार समूह के रूप में कार्य करना भी सम्मिलित है। अन्यान्य संभावित चुनौतियों को जानने, समझने और परखने के लिए सभी सम्बंधितों से विचार–विमर्श किये जाने के पश्चात् ही स्कूल के स्वरूप और कार्ययोजनाओं की परिकल्पना को मूर्तरूप दिया गया है। इस प्रकार मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11–8/2007/1/9 भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2007 द्वारा सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की भोपाल में स्थापना की गई है। स्थापना के साथ ही स्कूल के महानिदेशक की नियुक्ति की गई।

1.2 प्रारंभिक विकास एवं नीतिगत निर्णय –

स्कूल के प्रथम महानिदेशक के रूप में प्रो. एच.पी. दीक्षित (पूर्व कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) ने 17 सितम्बर, 2007 को पदभार ग्रहण किया। स्कूल की तात्कालिक मूलभूत आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2007 को महानिदेशक एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की सम्मिलित बैठक ली गई, जिसमें स्कूल के लिए न्यूनतम आवश्यक अमले और वित्तीय व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु निर्णय लिये गये। इसी के साथ स्कूल का कार्यालय क्रिस्प, श्यामला हिल्स, भोपाल के प्रशासनिक भवन से प्रारंभ किया गया। शासकीय भवन उपलब्ध होने पर

स्कूल का कार्यालय अक्टूबर, 2007 के अंत तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तृतीय एवं चतुर्थ तल में स्थानान्तरित किया गया।

नवम्बर, 2007 में स्कूल के रेग्यूलेशन का अंतिम रूप शासन द्वारा अनुमोदित किया गया। इस रेग्यूलेशन के आधार पर स्कूल का पंजीयन मध्यप्रदेश शासन की एक स्वशासी संस्था के रूप में दिनांक 16.11.2007 को सम्पन्न हुआ। इसी के साथ स्कूल के लिए सामान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमावली का प्रारूप तैयार करने की दिशा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों एवं स्कूल के प्रबंधक (वित्त) की एक समिति गठित की गई।

स्कूल के रेग्यूलेशन में शासी निकाय एवं कार्यकारी निकाय की व्यवस्था दी गई है। इसके अनुपालन में स्कूल की शासी निकाय की प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक माननीय मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2008 को सम्पन्न हुई। इस बैठक में स्कूल के महानिदेशक एवं सदस्य सचिव, शासी निकाय द्वारा स्कूल के उद्देश्यों पर आधारित विकास की दिशाओं, कार्यप्रणाली, भावी कार्ययोजनाओं एवं प्रस्तावों तथा प्रारंभिक प्रयासों को विचारार्थ मार्गदर्शन एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। इस बैठक में वृहद् विचार–विमर्श के बाद स्कूल की अवधारणा (vision) एवं ध्येय (mission) के संबंध में निम्न महत्वपूर्ण एवं दीर्घगामी निर्णय लिये गये।

अवधारणा (vision)

''सुशासन जो सबको समान अवसर प्रदान करे एवं जिसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना हो।''

("Equal opportunity to all through Good Governance geared to improve the quality of lives of our people").

ध्येय (mission)

"Knowledge Resource Hub और Repository के निर्माण एवं अन्य माध्यमों द्वारा सुशासन के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के विकास का प्रयास सुनिश्चित करना, जिससे शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जनकल्याण केन्द्रित तथा जिम्मेदार और सुदृढ़ बनाया जा सके।"

("Develop Knowledge Resource Hub and Repository and other strategies, to motivate and encourage strengthening of Good Governance which is more transparent, participative, accountable and focused on improving the quality of lives of our people").

शासी निकाय की प्रथम बैठक में अन्य निर्णय निम्नानुसार लिये गये।

- आम आदमी की सुविधा के लिए शासकीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण का प्रयास किया जावे।
- प्रत्येक योजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय–सीमा में इस प्रकार हो कि आम आदमी को इसका लाभ सुविधापूर्वक उपलब्ध हो।
- स्कूल के प्रारंभिक विकास को ध्यान में रखते हुये शासी निकाय की ओर से आवश्यक निर्णय लेने के लिए कार्यकारी निकाय/महानिदेशक को अधिकृत किया गया।
- शासन को बेहतर बनाने, नवाचार आदि लाने के प्रयासों में शासकीय विभागों/संस्थानों/निकायों आदि को Capacity Building, Consultancy, समस्याओं के समाधान में तकनीकी सहयोग, वर्कशाप/विशेषज्ञों की बैठक आदि कार्यों के सम्पादन

के लिए स्कूल को संबंधित शासकीय ईकाईयों से वित्तीय सहायता उपलब्ध की जा सकेगी।

- ज्ञान प्रबंधन, नीति विश्लेषण तथा सुशासन स्कूल के तीन मुख्य कार्य स्तंभ हों। स्कूल के शोध एवं अध्ययन कोर स्टॉफ का नियोजन इस प्रकार हो कि उक्त तीनों विधाओं में स्कूल का उत्कृष्ट विकास हो सके और ध्येय के अनुरूप प्रभावी सुशासन के उच्चतम मापदंडों को प्राप्त करने में स्कूल द्वारा सफल सहयोग और प्रोत्साहन दिया जावे।
- स्कूल के अध्ययन एवं शोध संबंधी कोर स्टॉफ के विषय में निश्चित किया गया कि संचालक सुशासन (Director Governance), संचालक नीति विश्लेषण (Director Policy Analysis) तथा संचालक ज्ञान प्रबन्धन (Director Knowledge Management), कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना अधिकारी/अनुसंधान संयुक्त/शोधकर्त्ता (Programme Coordinators / Project Officers / Research Associates / Research Fellows) तथा प्रशासनिक स्टॉफ के सहयोग से स्कूल का कार्य संपादित होगा। परियोजनाओं से संबंधित विशिष्ट परामर्शदायी विशेषज्ञ/सलाहकार (Distinguished Specialists / Advisors), विशिष्ट फेलो/कन्सलटेंट (Distinguished Fellows / Consultants) संस्थागत / एक्सचेंज कार्यक्रम फेलो (Institutional Fellows, Exchange Programme Fellows) तथा कार्यक्षेत्र अनुभवी विशेषज्ञ (Experts with Field Experience) से भी सहयोग लिया जावे।

स्कूल हेतु निम्न संकल्प निर्धारित किये गये –

- सुशासन संबंधी नीतियों के पालन में शासन को सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ मिलकर सुशासन स्थापित करने को प्रोत्साहित करना।
- आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयासों में सहयोगी होना।

सामान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमावली के निर्माण के लिए गठित समिति ने वृहद् विचार–विमर्श के बाद इस नियमावली को अंतिम रूप दिया तथा मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20 फरवरी, 2008 को सम्पन्न कार्यकारी निकाय की प्रथम बैठक के विचारार्थं नियमावली का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्कूल की सामान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमावली दिनांक 20 मार्च, 2008 को अनुमोदित हुई एवं स्कूल के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य योजनाओं पर विधिवत् कार्य प्रारंभ हो सका।

2. वर्ष 2008–09 की मुख्य गतिविधियाँ

स्कूल के रेग्यूलेशन के सरल क्र. 7 के प्रावधान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 11–8/2007/1/9 दिनांक 22 अप्रैल, 2008 द्वारा शासी निकाय के निम्न पाँच अशासकीय सदस्यों को नामांकित किया गया।

1. डॉ. सोमपाल शास्त्री, उपाध्यक्ष योजना आयोग, मध्यप्रदेश
2. डॉ. बकुल ढोलकिया, पूर्व निदेशक, आई.आई.एम., अहमदाबाद
3. डॉ. एम राय, महानिदेशक, आई.सी.ए.आर., भारत सरकार

4. श्री बी.एस. बासवान, निदेशक, आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली
5. डॉ. राजीव करंदिकर, उपाध्यक्ष क्रेन्स साफ्टवेयर, बेंगलोर

स्कूल के रेग्यूलेशन के सरल क्र. 23 के प्रावधान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 11–8/2007/1/9 दिनांक 22 अप्रैल, 2008 द्वारा निम्न पाँच अशासकीय सदस्यों को नामांकित किया गया।

1. डॉ. डी.के. बन्धोपाध्याय, निदेशक, आई.आई.एफ.एम., भोपाल
2. डॉ. वेद प्रकाश, वाइस–चान्सलर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली
3. प्रो. एस.सी. गर्ग, पूर्व प्रो–वाइस–चान्सलर, इग्नू
4. डॉ. डी.एम. पेस्टोनजी, पूर्व प्रोफेसर, आई.आई.एम., अहमदाबाद
5. प्रो. कर्मेषु, प्रोफेसर, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिस्टम साइन्सेज़, जे.एन.यू., नई दिल्ली

2.1 सुशासन एवं संसाधन विकास कार्यदल में स्कूल द्वारा सहयोग –

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विकास के लिए सात प्राथमिकतायें – अधोसंरचना विकास, निवेश वृद्धि, कृषि को फायदे का धंधा बनाना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सुशासन एवं संसाधन विकास, सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण निर्धारित की गई हैं। इन प्राथमिकताओं के संबंध में कार्ययोजना बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा सात कार्यदल बनाये गये हैं, जिनमें राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ इन क्षेत्रों के विषय–विशेषज्ञों को भी अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकित किया गया हैं। शासन द्वारा किये जा रहे इन प्रयासों में स्कूल की भी सहभागिता है एवं शासन द्वारा गठित सुशासन एवं संसाधन विकास कार्यदल में स्कूल के महानिदेशक द्वारा सदस्य के रूप में तथा स्कूल के संचालक (सुशासन) द्वारा सदस्य सचिव के रूप में भूमिका निर्वहित की जा रही है।

2.2 जन–जन की सहभागिता हेतु वेबसाईट : आइडियाज़ फॉर सीएम –

राज्य शासन द्वारा समाज के विभिन्न समूहों की पंचायतों के माध्यम से उनके सुझाव लेकर नीति निर्धारित करने की प्रक्रिया के सफल परिणाम सामने आये है। ऐसे प्रयोगों की सफलता से उत्साहित होकर जन–जन को सुशासन एवं प्रदेश के विकास की वैचारिक प्रक्रिया के व्यापक रूप से जोड़ने एवं उनके अनुभव और ज्ञान के अपार भण्डार का लाभ प्रदेश के विकास की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए स्कूल द्वारा ''आइडियाज़ फॉर सीएम'' वेबसाईट का निर्माण किया गया है।

वेबसाईट का माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्घाटन

इस वेबसाईट के माध्यम से विश्व के किसी भी हिस्से से सुशासन एवं विकास के संबंध में सुझाव प्रेषित किये जा सकते हैं। इस वेबसाईट को www.ideasforcm.in पर देखा जा सकता है।

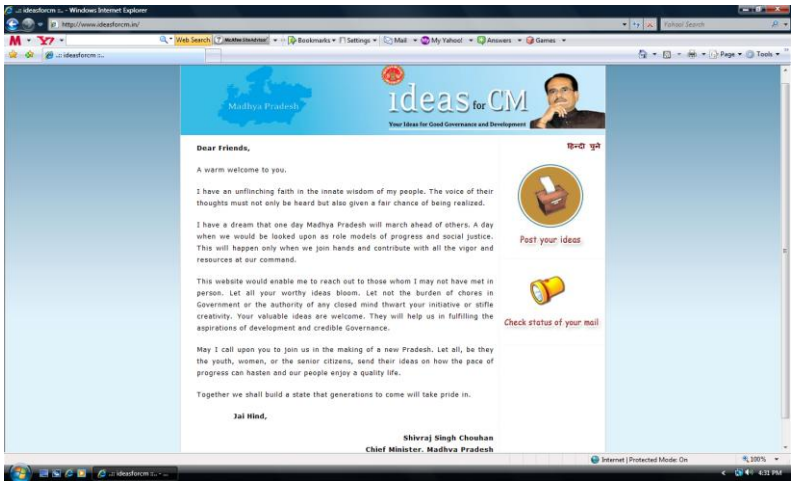

वेबसाईट : www.ideasforcm.in

''आईडियाज़ फॉर सीएम'' वेबसाइट का शुभांरभ माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 19.01.09 को किया गया। वेबसाईट का शुभांरभ करते हुये माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इस बात पर बल दिया कि इस माध्यम से शासन उन सभी लोगों तक पहुँच सकेगा, जिन्हें उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलने का अवसर नहीं मिलता है। उन्होंने आम जनता से आव्हान किया कि वह एक ऐसे मध्यप्रदेश के निर्माण में भागीदार बनें, जिस पर आने वाली पीढ़ी को गर्व हो। इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उपयुक्त सुझावों का क्रियान्वयन किया जायेगा, जिससे प्रदेश में नीति निर्धारण एवं विकास की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी। क्रियान्वयन हेतु चुने गये सुझावों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।

वेबसाईट पर प्राप्त आईडियाज़ के विश्लेषण एवं अनुश्रवण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन रखी गई है। नागरिकों द्वारा किसी आईडिया को प्रेषित करते ही उन्हें ई–मेल के माध्यम से आईडिया प्राप्त होने की सूचना दी जाती है। माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय के उच्च

अधिकारियों के सहयोग से आईडिया की प्रारंभिक छानबीन के उपरांत यदि आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उसे पंजीकृत कर संबंधित विभाग को अभिमत हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। साथ ही सुझावकर्ता को भी ई–मेल के माध्यम से उसके सुझाव के पंजीयन की सूचना देते हुए एक आई–डी एवं पासवर्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से सुझावकर्ता उसके आईडिया पर समय–समय पर की गई कार्यवाही की स्थिति जान सकता है। यदि प्रारंभिक छानबीन के उपरांत आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उस स्थित में भी सुझावकर्ता को ई–मेल के माध्यम से सूचना दी जाती है। पंजीकृत आईडिया पर संबंधित विभाग का अभिमत प्राप्त होने के उपरांत पुनः आईडिया का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जाता है। तदोपरांत आईडिया के क्रियान्वयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के संबंध में भी सुझावकर्ता को ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

इस वेबसाईट हेतु नागरिकों में अप्रत्याशित अभिरूचि देखने को मिली है एवं उद्घाटन के 10 दिवस के अंदर ही वेबसाईट पर लगभग एक हजार सुझाव प्राप्त हुये हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते है कि निकट भविष्य में मध्यप्रदेश के विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का यह एक महत्वपूर्ण मॉडल होगा।

2.3 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय के प्रयास –

सुशासन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करने हेतु स्कूल के उद्देश्यों में प्रावधान है। शासन में नवाचार तथा निरन्तर उत्कृष्टता लाने के लिए यह आवश्यक है कि शासकीय अधिकारियों और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच सतत् विचारों के आदान–प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाये। इस संदर्भ में स्कूल द्वारा जी.टी.ज़ेड. (जर्मन सरकार की संस्था), भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर, आई.आई.टी., कानपुर एवं मुम्बई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (INFLIBNET Centre), अहमदाबाद, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (National University of Educational Planning and Administration-NUEPA), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली (Indian Institute of Public Administration-IIPA), इन्स्टीट्यूट आफ एकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली विश्वविद्यालय (Institute of Economic Growth, Delhi University), भारतीय वन प्रबंधन संस्थान–भोपाल (Indian Institute of Forest Management-IIFM, Bhopal) आदि से सहयोग एवं समन्वय हेतु प्रयास किये गये है।

स्कूल द्वारा प्रशिक्षु योजना (Scheme of Interns) की एक–अभिनव योजना शुरू की गई जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

1. युवा बौद्धिक सम्पदा का सुशासन को सुदृढ करने हेतु आकर्षित करना, पोषण एवं उपयोग करना।
2. इच्छुक एवं प्रतिभावान युवा स्नातकोत्तर/शोध विद्यार्थियों को राज्य की विकास की प्रक्रिया से अवगत कराना तथा नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों आदि से संबंधित अध्ययन एवं शोध हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग करना।
3. आने वाले समय के लिए ऐसे युवाओं का समूह तैयार करना जो कि सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौतियों एवं समस्याओं से परिचित हो एवं इस कार्य हेतु मानसिक रूप से तत्पर रहें।

इस योजना के अंतर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इन्दौर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर जैसी देश की ख्यातनाम राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम (MBA) के प्रशिक्षुओं की विषय विशेषज्ञता का योगदान मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों की नीतियों एवं योजनाओं में लेने का प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर के 5 विद्यार्थियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के 12 विद्यार्थियों एवं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के 3 विद्याार्थियों का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का उपयोग भी किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश शासन के सचिव स्तरीय अधिकारियों की सहभागिता रही।

विभिन्न विभागों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्रोजेक्ट शक्तिमान, लाडली लक्ष्मी योजना तथा प्रोजेक्ट मुस्कान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, संयुक्त वन प्रबंधन, खनिज प्रबंधन एवं ई–गवर्नेन्स आदि क्षेत्रों में चयनित प्रशिक्षुओं के सहयोग लेने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त www.ideasforcm.in पर प्राप्त सुझावों के विश्लेषण एवं Knowledge Management Frame Work for Government की रूप–रेखा संबंधी अध्ययन हेतु स्कूल द्वारा भी दो प्रशिक्षुओं का उपयोग किया जायेगा।

आशा है कि प्रशिक्षु योजना (Scheme of Interns) से प्रदेश के विकास में सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे एवं सुशासन से अपेक्षित लाभ लोगों तक तेजी से पहुँचाने में शासन को मद्द मिलेगी। इसी तारतम्य में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.09 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षुओं को सौंपे जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई, जिसका कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–एक पर संलग्न है।

2.4 गुड प्रैक्टिसेज़ के संकलन एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास –

सुशासन के लिए यह आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि शासन में प्रचलित गुड प्रैक्टिसेज़ को चिन्हित किया जाये और उनका संकलन कर सर्व संबंधित को सफल प्रयासों से अवगत कराया जाये। ऐसे प्रयासों से गुड प्रैक्टिसेज़ के प्रसार को बल मिलता है। इसी कारण से इस ओर स्कूल के ध्येय में विशेष बल दिया गया हैं। इस दिशा में स्कूल द्वारा निम्न प्रयास प्रारंभ किये गये।

भारत सरकार और मध्यप्रदेश शासन में प्रचलित गुड प्रैक्टिसेज़ का भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अधिकारियों एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित उच्च अधिकारियों एवं स्कूल के महानिदेशक द्वारा चयन किया गया। मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित समिति निम्नानुसार रही।

1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–अध्यक्ष
2. महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल–सदस्य
3. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग–सदस्य
4. संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी–सदस्य

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तावित ''जन लाभकारी योजनाओं का बेहतर

क्रियान्वयन'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु माह नवम्बर, 2008 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्कूल को नोडल ऐजेन्सी के रूप में चिन्हित किया गया। गुड प्रैक्टिसेज़ के चयन हेतु मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मंगाने हेतु स्कूल एवं मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र प्रेषित किये गये। प्राप्त प्रस्तावों का संकलन अधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य स्कूल द्वारा किया गया। इसी प्रकार तीन राष्ट्रीय गुड प्रैक्टिसेज़ को चुना गया। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के संबंधित अधिकारियों से चर्चा उपरांत ''जन लाभकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु दिनांक 5 जून, 2009 को सुनिश्चित की गई और कार्यशाला के दौरान चुनी हुई गुड प्रैक्टिसेज़ के संकलित प्रकाशन के कार्य हेतु प्रयास प्रारंभ किये गये।

2.5 सुदूर स्थानों तक जन अपेक्षाओं के अनुश्रवण हेतु सीधा सेटैलाईट सम्पर्क –

मध्यप्रदेश ऐसे राज्यों में शामिल है जहां जनसंख्या का घनत्व अप्रत्याशित रूप से कम है। कम विकसित एवं हाशियें में रह रहे लोगों का एक बहुत बड़ा समूह उन स्थानों पर निवास करता है, जहां पर विकास योजनाओं का लाभ अभी तक सुचारू रूप से नहीं पहुँच पाया है। यद्यपि आईडियाज़ फार सीएम जैसी अभिनव योजनायें शहरी क्षेत्रों में काफी सफल सिद्ध हो रही हैं तथापि इसका लाभ सुदूर स्थानों पर पहुँचाना अत्यंत कठिन कार्य है क्योंकि इन स्थानों तक दूरसंचार एवं इन्टरनेट सेवायें नहीं के बराबर हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि सेटैलाईट के माध्यम से Point to Point Two-way-Communication की सुदृढ़ एवं सतत् प्रणाली स्थापित की जाय। आशा है कि ऐसी व्यवस्था से न केवल विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से अनुश्रवित किया जा सकेगा, बल्कि आवश्यकतानुसार Mid-Term-Review / Corrections भी संभव हो सकेगें। ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सेटैलाईट मोबाईल वेन की एक ऐसी अभिनव योजना को प्रस्तावित किया गया है, जिसके माध्यम से सुदूर स्थानों तक अनुश्रवण की सतत् व्यवस्था लागू की जा सकेगी। सेवाओं में सुधार और उनके grassroots तक विस्तार हेतु मोबाईल वेन की योजना के लिए शासन द्वारा रुपये 70.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।

2.6 Knowledge and Information Repository की स्थापना हेतु प्रारंभिक प्रयास –

स्कूल के ध्येय के अनुरूप सामान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमावली में Knowledge and Information Repository (KAIR) के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के अनुसार प्रबंधक (केयर) के पद हेतु एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। केयर की स्थापना हेतु चालू ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रुपये 5.70 करोड़ का बजट में प्रावधान प्रस्तावित किया गया। सामान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमावली की कंण्डिका 13.1 (2) में निहित प्रावधान के अनुसार केयर समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1. स्कूल के संचालक (ज्ञान प्रबंधन) – अध्यक्ष
2. श्री अनुराग जैन, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिन्हें मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष कार्यकारी निकाय द्वारा नामांकित किया गया – सदस्य

3. डॉ. जगदीश अरोरा, निदेशक, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अन्तर विश्वविद्यालयीन केन्द्र, अहमदाबाद (Information and Library Network (INFLIBNET) Centre, जिन्हें मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष कार्यकारी निकाय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में नामांकित किया गया – सदस्य
4. स्कूल के कार्यक्रम समन्वयक (ज्ञान प्रबंधन) – सदस्य
5. प्रबंधक केयर – सदस्य सचिव

सामान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमावली की कण्डिका 13.2 में निहित प्रावधानों के अनुरूप केयर के प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन हेतु नियमों के निर्माण हेतु प्रक्रिया आरम्भ की गई। इन नियमों को केयर समिति की प्रथम बैठक तथा उसके पश्चात् कार्यकारी निकाय की बैठक में अनुमोदनार्थं प्रस्तुत किया जायेगा।

2.7 वेबसाईट गुणवत्ता, सुलभता एवं सुरक्षा हेतु प्रयास –

वर्तमान परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध शासन संबंधी जानकारी की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत हैं। प्रदेश के बढ़ते विकास के साथ आम नागरिकों की शासन से अपेक्षायें भी बढ़ी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक जानकारी/सूचनाओं को लगातार अद्यतन किये जाने एवं उनकी विश्वसनीयता पर विशेष जोर दिये जाने की आवश्यकता है। ई–गवर्नेन्स के प्रगतिशील प्रयासों एवं सेवा प्रदाय व्यवस्था से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। किन्तु ऐसी सेवाओं को और सरल बनाने एवं उन्हें सुदूर एवं कम विकसित क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी को सुलभ कराने में कठिनाई होती है। प्रदेश में 9200 कॉमन सर्विस सेन्टर बनाये जा रहे हैं, जिनके माध्यम से शासन की गतिविधियों की जानकारी कुछ हद तक सुदूर अंचलों तक मिल सकेगी। इस उत्साहवर्धक एवं महत्वपूर्ण विकास के साथ यह और भी आवश्यक है कि शासन के विभिन्न विभागों की वेबसाईट की सुदृढ़ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं स्कूल के सम्मिलित प्रयासों द्वारा ''वेबसाईट गुणवत्ता, सुलभता एवं सुरक्षा'' (Website Quality, Accessibility and Security) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किये जाने हेतु तैयारी की गई। इसमें मध्यप्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सहभागिता प्रस्तावित है।

इस कार्यशाला में मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार (STQC : Standardization, Testing and Quality Certification, Department of Information Technology, Govt. of India), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार (NIC : National Informatics Centre, Department of Information Technology, Govt. of India) एवं जी.टी.ज़ेड. जर्मन सरकार की संस्था (GTZ : Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग दिये जाने का आश्वासन प्राप्त हुआ ।

2.8 स्कूल परिसर के निर्माण हेतु प्रारंभिक कार्यवाही –

स्कूल की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु स्कूल परिसर के निर्माण का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्कूल के परिसर निर्माण हेतु बड़ी झील के किनारे भदभदा रोड, भोपाल में 12 एकड़ का भू–खण्ड शासन द्वारा आवंटित किया गया, जिसका अधिग्रहण दिनांक 18 मार्च 2008 को स्कूल द्वारा किया गया। आवंटित भू–खण्ड के निकट अनेक प्रतिष्ठित शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थायें जैसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय आदि स्थित हैं। सामान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमावली की कण्डिका 17.1–(2) में निहित प्रावधानों के अनुरूप भवन निर्माण तथा वर्क्स समिति का गठन सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के आदेश क्र. एसजीपीए/06/08/267 दिनांक 04.04.2008 द्वारा किया गया। इस समिति में लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख अभियंता तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सदस्य के रूप में शामिल किये गये है।

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन एवं स्कूल के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा इस परिसर में *''सुशासन भवन''* के निर्माण हेतु भूमि पूजन और शिलान्यास 27 मई, 2008 में किया गया। परिसर निर्माण का कार्य राजधानी परियोजना प्रशासन (CPA) द्वारा एवं स्कूल भवन की डिजाईन तैयार करने का कार्य पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा किया जा रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्कूल परिसर के निर्माण हेतु रुपये 11.11 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। स्कूल भवन के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने के प्रयास किये जा रहे है।

स्कूल का प्रस्तावित परिसर

3. सेमीनार/कार्यशाला

3.1 प्रशासनिक अधिकारियों और उत्कृष्ट संस्थाओं के अकादमिक की कॉनक्लेव –

हाल के दशकों में कार्पोरेट सेक्टर में शोध और अध्ययन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ऐसे शोध एवं अध्ययन का विश्वस्तरीय संस्थाओं में व्यापक रूप से अनुसरण भी

किया जा रहा है, किन्तु सार्वजनिक प्रशासन में इस तरह के अध्ययन एवं शोध पर बहुत कम ध्यान दिया जा सका है। अतः शासन से जुड़े हुये अहम् मुद्दों पर अध्ययन एवं शोध सामग्री की अत्यंत कमी महसूस होती है। परंपरागत प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अन्य कमियों के अतिरिक्त यह भी महसूस होता है कि नीति और योजनाओं के निर्धारण एवं क्रियान्वयन के बीच काफी अन्तर रहता है। इस दिशा में नीति विश्लेषण और सेवा प्रदाय के गंभीर अध्ययन एवं विश्लेषण अपेक्षित है। शासन के प्रति जनविश्वास की पुर्नस्थापना इन्हीं दिशाओं में कदम बढ़ाकर प्राप्त की जा सकती है। कार्पोरेट सेक्टर में शासन की गुणवत्ता को आर्थिक लाभांश से आँका जा सकता है, जबकि सार्वजनिक प्रशासन की सफलता का इस प्रकार का आंकलन करना जटिल होता है। यह बात केवल प्रगतिशील देशों के परिप्रेक्ष्य में ही सीमित नहीं है, बल्कि विकसित देशों में भी यह एक महत्वपूर्ण शोध का विषय है। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं अध्यक्ष कार्यकारी निकाय सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के अनुमोदन से 7 जून, 2008 को नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों के बीच संवाद हेतु कॉनक्लेव का आयोजन किया गया। कॉनक्लेव की अध्यक्षता मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई। इसका प्रारंभ स्कूल के महानिदेशक के प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण से हुआ। कॉनक्लेव में शासन के प्रति जनविश्वास हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस संबंध में डॉ. तासुरू कोतारो, सीनियर फेलो आरईटीआई और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी केबिनेट ऑफिस, जापान के निहोन केजाई में 4 अक्टूबर, 2006 के अंक में 'केजाई केयोशितासु' कॉलम में छपे लेख का अनुवाद उद्धृत करते हुये इसकी प्रासंगिकता पर विचार हुआ।

''भविष्य में आने वाले सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में सुधार का केन्द्र सरकारी प्रशासन में होना चाहिए। कार्पोरेट शासन एक ऐसी व्यवस्था हैं जिसमें अंशधारी 'मुखिया' के रूप में प्रबंधक (मैनेजर) को एजेन्ट के रूप में अनुशासन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराता हैं और उसकी तुलना में सरकारी शासन को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, जिसमें सामान्य जन (मतदाता, करदाता) अंतिम मुखिया के रूप में नौकरशाही और सरकार को प्रतिनिधि के रूप में जनता की भलाई के काम करने के लिए अनुशासन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराता हैं।.....

हर मंत्रालय को वक्त की बदलती जरूरत के मुताबिक अभियान के बारे में अच्छी तरह से पुनर्विचार और संस्थागत परिवर्तनों पर विचार करना होगा जो सेवा के दौरान नौकरशाहों/अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उनकी विशेषता और अनुभव को सुगमता और दक्षता के साथ उपयोग करने की इजाजत दे''

कॉनक्लेव में उभरते अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में स्कूल के लिए यह अनुशंसा की गई कि वह एक उत्कृष्ट नवाचारी एवं भविष्य दर्शी विचारों के ज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करे। स्कूल ऐसे शोध एवं अध्ययन को बढ़ावा दे, जिससे जमीनी स्तर पर आवश्यक, महत्वपूर्ण एवं स्थायी बदलाव लाने में लोक प्रशासन को उचित सहयोग मिल सके। यह भी अनुशंसा की गई कि स्कूल क्रियात्मक नीतियों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को जो वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय रूप से आवश्यकता और संदर्भता परख व्याख्या पर आधारित हो, प्रोत्साहित एवं विकसित करने हेतु ज्ञान केन्द्र बनेगा। इनको अपनाने, अनुसरण और व्यापक करने तथा उन्नत बनाने का कार्य अन्य सभी हितग्राहियों के विचार–विमर्श से होगा। इसके साथ ही यह भी आवश्यक समझा गया कि स्कूल सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में शासन से जुड़े अध्ययन

और शोध के लिए विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में स्थापित हो सकेगा तथा शोध, नीति और क्रियान्वयन के बीच सक्षम सेतु का निर्माण करने में सफल होगा।

कॉनक्लेव की विस्तृत चर्चा पर आधारित "Moving Towards Cherished Goals of Good Governance" शीर्षक से स्कूल द्वारा एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई।

प्रशासनिक अधिकारियों और राष्ट्रीय संस्थानों के अकादमिक की कॉनक्लेव

कॉनक्लेव में कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश व महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों की राजधानियों में राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों द्वारा शासन को प्राप्त होने वाले सहयोग पर विचार करते हुये अनुभव किया गया कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में उत्कृष्ट संस्थानों की कमी रही हैं, किन्तु हाल में इस प्रकार के कई संस्थान भोपाल तथा इंदौर में खोले जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अनुभव किया गया कि स्कूल ऐसे राष्ट्रीय संस्थानों और शासकीय विभागों के बीच सफल सहयोग की कड़ी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं।

3.2 मंत्रीपरिषद के माननीय सदस्यों हेतु कार्यशाला का आयोजन –

प्रदेश के नवनियुक्त माननीय मंत्रीगणों के लिये दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 1 व 2 फरवरी, 2009 को पंचमढ़ी में किया गया। इस कार्यशाला में नवनियुक्त मंत्रीगणों को उन विषयों से अवगत कराया गया, जिससे शासन को ज्यादा प्रभावी एवं जनकेन्द्रित बनाया जा सके। इस कार्यशाला का आयोजन सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल एवं राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान–इन्दौर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान–अहमदाबाद की पूर्व प्रोफेसर डॉ इन्दिरा पारिख, श्री एन बी लोहानी, पूर्व अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग तथा डॉ. गिरीश्वर मिश्रा, प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संवाद आयोजित किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से नेतृत्व की भूमिका (Leadership Roles), संगठन का कायाकल्प (Transformation of Organization), राज्य का चित्रण (Mapping of the State), ई.क्यू. (E.Q.), मध्यप्रदेश शासन के कार्य नियम एवं प्रक्रिया आदि विषयों पर चर्चा की गई।

4. प्रशिक्षण

मंत्रालयीन कर्मचारियों के प्रभावी व्यक्तित्व विकास हेतु प्रशिक्षण

विकासात्मक सामाजिक परिवेश में शासन के जनोन्मुखी प्रयासों को अधिक सार्थक एवं सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यवहार कुशल एवं सक्षम बनाते हुये बदलती अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप समय–सीमा में लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर प्रेरित किया जाये। इस दिशा में पहल करते हुए सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यवहार कुशलता एवं सक्षमता को उत्प्रेरित करने के साथ उनके व्यक्तित्व में धनात्मक विकास को और बढ़ावा देने के लिए **''कार्यस्थल में मानवीय संबंधों एवं व्यक्तिगत प्रभाव के विकास''** विषय पर अर्द्ध दिवसीय प्रशिक्षण की एक श्रृंखला दिनांक 19.02.09 से प्रारंभ होकर वित्तीय वर्ष 2008–2009 के अंत तक आयोजित हुई।

राज्य मंत्रालय में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन

यह प्रशिक्षण 30–30 कर्मचारियों के दो समूहों में प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वान्ह एवं अपरान्ह में आयोजित की गई। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल के मनोविज्ञान विभाग एवं कुछ स्वछन्द विषय विशेषज्ञों के सहयोग से आयोजित किया गया। वर्ष 2008–09 में राज्य मंत्रालय के कुल 876 अधिकारियों/कर्मचारियों को विषयांकित प्रशिक्षण दिया गया है।

5. स्कूल में नवीन पदस्थापनायें

स्कूल के कार्यभार तथा भावी योजनाओं को गति देने हेतु राज्य शासन के आदेश क्र. /एफ–11/8/1/9 दिनांक 20 जून, 2008 द्वारा स्कूल के लिये तीन संचालक, तीन कार्यक्रम समन्वयक, तीन परियोजना अधिकारी, एक सहायक प्रबंधक प्रशासन, सात तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं नौ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्वीकृति प्रदान की गई। स्कूल में संचालक,

कार्यक्रम समन्वयक, प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं सहायक प्रबंधक (प्रशासन) के पदों के लिए राज्य/केन्द्र/स्वशासी संस्थाओं/राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिनाम अशासकीय संगठनों में कार्यरत अथवा अपेक्षित कार्य अनुभव वाले विशेषज्ञों/अकादमिक/अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किये गये। इन पदों के साथ–साथ सहायक वर्ग–1, सहायक वर्ग–2, सहायक वर्ग–3, शीघ्रलेखक, डाटा एण्ट्री आपरेटर आदि के लिये भी आवेदन विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किये गये। उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त स्वीकृत पदों में से संचालक (नीति विश्लेषण), दो कार्यक्रम समन्वयक, तीन परियोजना अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रबंधक वित्त, सहित 13 अन्य पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है एवं आगामी वर्ष में इन पदों की पूर्ति की जायेगी। वर्ष 2008–09 में निम्नलिखित अध्ययन एवं शोध कोर स्टॉफ द्वारा स्कूल में कार्यभार ग्रहण किया गया है –

1. श्री अखिलेश अर्गल (बी.ई. सिविल), ने सितम्बर 2008 को स्कूल में संचालक (सुशासन) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। श्री अर्गल भारतीय वन सेवा के 1986 बैच के अधिकारी है एवं स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पद पर कार्यरत रहे है।
2. डॉ. यू.सी. पाण्डे (एम.फिल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय), पी.एच.डी., (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय) ने दिसम्बर, 2008 को स्कूल में संचालक (ज्ञान प्रबंधन) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। डॉ. पाण्डे स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इग्नू में रीजनल डायरेक्टर, जबलपुर के पद पर कार्यरत रहे है।
3. श्री सौरभ बंसल (बी.ई., एम.बी.ए., एम.टेक. कम्प्यूटर साइंस) ने अक्टूबर, 2008 में स्कूल में कार्यक्रम समन्वयक (ज्ञान प्रबंधन) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। श्री बंसल ने इससे पूर्व अपनी सेवायें मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों जैसे : वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग में भी दी हैं।
4. श्री व्ही.के. मेनन ने अक्टूबर, 2008 को स्कूल में सहायक प्रबंधक (प्रशासन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री मेनन स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हल्पमेंट कार्पोरेशन में मैनेजर (टेक्नीकल–कम्प्यूटर) के रूप में कार्यरत रहें है।

6. वित्तीय प्रतिवेदन

वर्ष 2008–09 में स्कूल के लिये रू. 500.00 लाख का बजट प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित था :–

मांग संख्या –01
मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालयीन सामान्य सेवायें
राज्य आयोजना (सामान्य) 101
सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना (5163)

मद	राशि (रुपये हजारों में)
001–अद्योसंरचना अनुदान	1,00,00/–
002–संधारण अनुदान	4,00,00/–
योग	5,00,00/–

उपरोक्त प्रावधानित राशि में से वित्त विभाग द्वारा अनुदान की राशि रू. 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) के आहरण की ही अनुमति दी गयी थी एवं उक्त राशि का व्यय किया जा चुका है। शेष राशि रू. 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) शासकीय अनुमति के अभाव में उपलब्ध नहीं हो सकी।

7. स्कूल के कोर स्टाफ को प्राप्त विशिष्ट अवार्ड

दिनांक 14 जनवरी, 2009 को एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्टी में Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore and University of Hyderabad के डॉ. आर नरसिम्हा एफ.आर.एस. (लन्दन) एवं डॉ. एच.पी. दीक्षित, महानिदेशक सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल को **डॉ. जाकिर हुसैन अवार्ड** से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार स्कूल का नाम निम्न अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों एवं उनकी संस्थाओं यथा Dr. H. C. Neunzert, Fraunhofer Medalist, Technical University, Kaiserstautem, Germany. Dr. K.R.Sreenivasan, Director ICTP, Triest, Italy and Yale University and Maryland University, USA की श्रंखला में जुड़ गया है।

प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के साथ उच्चतम स्तर के शोध कार्य करने के लिये डॉ. दीक्षित के दीर्घकालीन अनुभव एवं क्षमता की सराहना स्कूल की कार्यकारी निकाय द्वारा द्वितीय बैठक दिनांक 12.11.2008 में की गई।

8. विशिष्ट व्यक्तियों का स्कूल में आगमन

8.1 श्री शम्भूनाथ, पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ –

श्री शम्भूनाथ, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्कूल के अधिकारियों के साथ एक अनौपचारिक परिचर्चा में अपने सुशासन संबंधी दीर्घकालीन अनुभवों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि ''महत्वपूर्ण (Important)'' एवं ''तात्कालिक (Urgent)'' कार्यों में अन्तर समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में प्रायः ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है, जिसमें ''तात्कालिक'' कार्यों के बोझ के कारण कई ''महत्वपूर्ण'' कार्य प्रभावित होते है। अतः इन कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हुये ऐसी व्यवस्था बनाना आवश्यक हैं, जिससे कि महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित नहीं हो।

8.2 प्रोफेसर एन. रविचन्द्रन, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर –

भारतीय प्रबंधन संस्थान, इन्दौर के निदेशक प्रो0 रविचन्द्रन ने दिनांक 01.12.08 को स्कूल के महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों के साथ मध्यप्रदेश के परिदृश्य में सुशासन एवं विकास पर चर्चा की गई एवं Internship Scheme में भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर की सहभागिता की इच्छा प्रगट की एवं सुझाव दिया कि यदि प्रबंधन संस्थान के विद्यार्थियों को प्रशासनिक व्यवस्था समझने के लिए जिला कलेक्टर के साथ कुछ समय के लिए संलग्न किया जाता है तो वे शासकीय व्यवस्था की जटिलताओं को समझ सकेगें एवं व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव दे सकेगें। साथ ही उन्होंने स्कूल द्वारा सुशासन की दिशा में

किये जा रहे प्रयासों में भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर की ओर से सहयोग करने एवं आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

8.3 श्री शेखर दत्त, उप–राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली –

श्री शेखर दत्त, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सचिव रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार आदि के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के उपरान्त वर्तमान में भारत सरकार के उप–राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत् है। स्कूल के उद्देश्यों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने दीर्घ अनुभव के आधार पर स्कूल एवं मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

9. सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल के मुख्य उद्देश्य

- सुशासन के क्षेत्र में वैश्विक एवं स्थानीय (Global-Local) परिप्रेक्ष्य में थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। शासकीय नीतियों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन करना।
- सुशासन के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना, समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान सुझाना, कार्य योजना बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता करना।
- उत्कृष्ट कार्य एवं विधियों तथा ई–प्रशासन के कार्यक्रमों का संकलन कर उनका विस्तारण करना।
- प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार एवं उनके स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन संबंधी परामर्श देना।
- ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करना, जिनमें परिवर्तन एवं सुधार से प्रशासनिक परिणामों तथा उपलब्धियों पर अधिकतम् सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।
- प्रशासन को जन–केन्द्रित बनाने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा हितबद्ध समूहों के लिए मंच उपलब्ध कराना।
- स्थानीय निकाओं, राज्यों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिये कार्यक्रमों की संरचना एवं संचालन एक्शन रिसर्च एवं प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के लिये तकनीकी परामर्श एवं सेवायें उपलब्ध कराना।

परिशिष्ट–एक

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रशिक्षु योजना (Internship Programme) संबंधी समीक्षा बैठक दिनांक 18.02.2009 का कार्यवाही विवरण।

स्कूल के Internship Programme की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक दिनांक 18.02.2009 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 12:30 बजे तक मुख्य सचिव के प्रतिकक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में परिशिष्ट एक में उल्लेखित अधिकारियों ने भाग लिया।

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा संचालित Internship योजना की अद्यतन स्थिति के संबंध में स्कूल के महानिदेशक द्वारा जानकारी दी गई। इस योजना के अंतर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थान–इन्दौर (IIM-I), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–कानपुर (IIT-K) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान–भोपाल (IIFM), जैसी देश की ख्यातनामा राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के स्नातकोत्तर स्तर के प्रबंधन पाठ्यक्रम (MBA) के 20 विद्यार्थियों को दो माह के लिये मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया गया हैं। चुने हुये विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र संबंधित शासकीय विभागों की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा चुने गये तीन Interns को उपभोक्ता जागरूकता अभियान संबंधी विषय पर प्रोजेक्ट तैयार करने का कार्य सौंपा जावेगा। इनमें से एक को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन अन्तर्गत निजी क्षेत्र एवं शासकीय क्षेत्र में स्थापित गोदामों में समन्वय स्थापित किये जाने का काम सौंपा जायेगा एवं गांवों से इन गोदामों के बीच में समन्वय स्थापित किये जाने का कार्य भी सौंपा जावेगा। चयनित दूसरे Intern को उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा दिये जाने, Indo-GTZ योजना एवं आर.सी.व्ही.पी. प्रशासन अकादमी के साथ उपभोक्ता संरक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में कार्य सौंपा जावेगा। तीसरे Intern को मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा स्थापित 182 केन्द्रों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न की वैज्ञानिक व्यवस्था बनाये जाने के संबंध में कार्य सौंपा जायेगा।

प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा बताया गया कि उनके विभाग द्वारा चयनित दो Interns में से एक को मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाये जा रहे मकानों के विपणन की कार्यनीति बनाये जाने का कार्य सौंपा जायेगा तथा दूसरे Intern को Environmental Planning & Coordination Organization (EPCO) द्वारा Green Building एवं भोपाल स्थित एकांत पार्क में स्थित नाले का Route Zone Treatment & Aerobic के विषय में अध्ययन कराया जावेगा।

सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चयनित तीन Interns में से पहले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा पर चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों की कुशलता, उपयोगिता एवं योजना में उनका योगदान के संबंध में अध्ययन कराया जायेगा। चयनित दूसरे Intern को ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत कॉनट्रेक्ट मैनेजमेन्ट के

अध्ययन एवं उसमें आ रही खामियों का अध्ययन कराया जावेगा। तीसरे Intern को जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (DPIP) अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं का विपणन संयोजन के क्षेत्र में अध्ययन का कार्य सौंपा जावेगा। मुख्य सचिव द्वारा एक Intern को किसी भी एक जिले में भेजकर इसका अध्ययन कराने का निर्देश भी दिया गया।

सूचना प्रोद्यौगिकी द्वारा चयनित दो Interns को प्रदेश में सूचना प्रोद्यौगिकी के विकास पर Detail Project Report (DPR) बनाये जाने का कार्य सौंपा जावेगा।

खनिज संसाधन विभाग द्वारा चयनित किये गये Intern को विभाग में Prospecting Geological & Geochemical Mapping एवं उसके आधूनिक टूल्स तथा Remote Sensing के उपयोग का अध्ययन करवाया जावेगा एवं विभाग में राजस्व बढ़ोत्तरी के उपायों का कार्य सौंपा जावेगा। भौमिकी तथा खनिकर्म, संचालनालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिलाध्यक्ष कार्यालय (खनिकर्म खण्ड), म.प्र. राज्य माईनिंग कार्पोरेशन तथा उसे उसके कार्यालय, म.प्र. में स्थित सीमेंट कारखाने तथा कॉपर परियोजना (मलाजखण्ड) बालाघाट के साथ सहयोग करने का कार्य सौंपा जावेगा।

महिला एवं बाल विकास द्वारा चयनित दो Interns को प्रोजेक्ट मुस्कान अंतर्गत गर्भवती एवं धातीमाता तथा बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के प्रभाव संबंधी अध्ययन का कार्य सौपा जावेगा। प्रोजेक्ट शक्तिमान अन्तर्गत संचालित आंगणवाड़ी केन्द्र एवं अन्य आँगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों में पोषण स्तर में अन्तर, प्रोजेक्ट प्रारंभ के पूर्व एवं बाद में बच्चों के पोषण स्तर में परिवर्तन संबंधी अध्ययन का कार्य सौंपा जावेगा एवं लाडली लक्ष्मी योजनान्तर्गत भ्रुण हत्या, लिंग अनुपात, बाल विवाह, बालिकाओं की शिक्षा एवं लिंग भेदभाव पर योजना का प्रभाव का अध्ययन कराया जावेगा एवं इस अध्ययन हेतु चयनित दो जिले धार (अनुसूचित जनजाति बहूल्य) एवं शिवपुरी जहां पर इस विषय की समस्या अधिक होने से अध्ययन हेतु Interns को भेजा जावेगा।

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा चयनित Interns को www.ideasforcm.in पर प्राप्त सुझावों के विश्लेषण, मानव संसाधन विकास एवं सुशासन हेतु प्रबंधन संबंधी अध्ययन का कार्य सौपा जावेगा।

महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा इसके अतिरिक्त भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NEUPA) के स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों तथा कैम्रून से प्राप्त एक Interns का बायो–डाटा प्राप्त होने की जानकारी दी गई। Interns के ठहरने की व्यवस्था, आर.सी.व्ही.पी नरोन्हा प्रशासन एव प्रबंधकीय अकादमी के हॉस्टल में की जा रही है। बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

परिशिष्ट–दो

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल

शासी निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची

क्र.	नाम एवं पद	धारित पद
1.	माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, वित्त, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
3.	माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
4.	माननीय मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
5.	माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
6.	माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
7.	माननीय मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
8.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
9.	महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
12	संचालक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	सदस्य
13	राज्य शासन द्वारा नामांकित पांच सदस्य * 1. डॉ. सोमपाल शास्त्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, मध्यप्रदेश 2. डॉ. बकुल ढोलकिया, पूर्व निदेशक, आईआईएम अहमदाबाद 3. डॉ. एम राय, महानिदेशक, आई.सी.ए.आर., भारत सरकार 4. श्री बी.एस. बासवान, निदेशक, आईआईपीए, नई दिल्ली 5. डॉ. राजीव करंदिकर, उपाध्यक्ष, क्रेन्स साफ्टवेयर, बेंगलोर	सदस्य
14	महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल	सदस्य सचिव

* नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 22 अप्रैल, 2008 से आगामी दो वर्षों का रहेगा, जिसे राज्य शासन द्वारा बढाया भी जा सकता है।

परिशिष्ट–तीन

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल

कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची

क्र.	नाम एवं पद	धारित पद
1.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
8.	शासन द्वारा नामांकित अधिकतम पांच अशासकीय सदस्य * 1. डॉ. डी.के. बन्धोपाध्याय, निदेशक, आईआईएफएम भोपाल 2. डॉ. वेद प्रकाश, वाइस चान्सलर, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एज्यूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली 3. प्रो. एस.सी. गर्ग, पूर्व प्रो–वाइस चान्सलर, इग्नू 4. डॉ. डी.एम. पेस्टोनजी, पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद 5. प्रो. कर्मेषु, प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट ऑफ सिस्टम साइन्स, जेएनयू, नई दिल्ली	सदस्य
9	महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल	सदस्य सचिव

* नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 22 अप्रैल, 2008 से आगामी दो वर्षों का रहेगा, जिसे राज्य शासन द्वारा बढाया भी जा सकता है।